भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-185

उत्तर देने की तारीख-0**3**/02/2025

सीटीईटी में मैथिली भाषा को शामिल करना

185. **श्री गोपाल जी ठाकुरः**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविधान की आठवीं अनुसूची में 20 अन्य भारतीय भाषाओं के साथ-साथ शामिल मैथिली भाषा को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) में शामिल करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की सलाहकार और कार्यान्वयन समिति में कोई चर्चा हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा सीटीईटी परीक्षा में मैथिली भाषा को शामिल करने और पाठ्यक्रम में संशोधन करने के लिए किसी समिति का गठन किया गया है;

(ग) क्या सीबीएसई द्वारा दिनांक 18.07.2024 को उक्त मामला एनसीटीई द्वारा गठित समिति को भेज दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समिति द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): दिनांक 9 मई, 2024 को सीबीएसई की परामर्शदात्री और कार्यान्वयन समिति की बैठक में सीटीईटी परीक्षा में मैथिली भाषा सहित अधिक भाषाओं को शामिल करने के मामले पर चर्चा की गई। सीबीएसई की परामर्शदात्री और कार्यान्वयन समिति की सिफारिश पर सीटीईटी परीक्षा में अधिक भाषाओं को शामिल करने का मामला आगे की जांच के लिए एनसीटीई को भेजा गया था। एनसीटीई ने 5+3+3+4 शैक्षणिक और पाठ्यक्रम संरचना के बारे में एनईपी 2020 की सिफारिश के संदर्भ में टीईटी दिशानिर्देशों को संशोधित करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

******